



प्रेस नोट थाना बण्डा जनपद शाहजहांपुर



सराहनीय कार्य, दिनांक- 27.02.2025

थाना बण्डा पुलिस द्वारा छिनैती की घटना के अभियोग का सफल अनावरण करते हुए 01 अदद मोटरसाईकिल स्पलेण्डर प्लस व 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व 15500 रूपये सहित 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार

श्रीमान उपमहानिरीक्षक /पुलिस अधीक्षक महोदय शाहजहांपुर के निर्देशानुसार, श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय के निर्देशन व श्रीमान क्षेत्राधिकारी पुवायां महोदय के पर्यवेक्षण में थाना बण्डा पुलिस को बड़ी सफलता प्राप्त हुई।

संक्षिप्त विवरण

दिनांक 22.02.2025 को मुकदमा वादिनी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना बण्डा पर तीन अज्ञात लोगों द्वारा मोटर साईकिल से आवेदिका के गले की चैन व दोनों कानों के झाले छीनकर मोटर साईकिल से भाग जाने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 0098/2025 धारा 304(2)/317(2) BNS बनाम तीन अज्ञात पंजीकृत कराया था। जिसकी विवेचना के क्रम में दिनांक 27/02/2025 को मुखबिर खास की सूचना पर थाना बण्डा पुलिस टीम के द्वारा मुकदमा उपरोक्त की घटना में प्रकाश में आये अभियुक्तगण 1. सुखपाल पुत्र रामलाल निवासी ग्राम नवीनगर, थाना बण्डा, जनपद शाहजहांपुर 2. सुनील पुत्र माखन लाल नि0 ग्राम नवीनगर, थाना बण्डा, जनपद शाहजहांपुर 3. छोटेलाल पुत्र पुतान नि0 ग्राम नवीनगर, थाना बण्डा, जनपद शाहजहांपुर को एक अदद देशी तमंचा 315 बोर मय दो अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर, 15500 रूपये, व एक अदद मोटरसाईकिल स्पलेण्डर प्लस सहित ग्राम गहलुईया जंगल वाले रास्ते पर मोड से करीब 50 मी0 पहले समय 03.15 बजे गिरफ्तार किया गया, पृष्ठताछ के दौरान अभियुक्तगण सुखपाल व सुनील उपरोक्त द्वारा पूर्व में थाना पुवायां क्षेत्र में महिला के कुण्डल छीनने की घटना को स्वीकार किया गया। थाना बण्डा पर पंजीकृत अभियोग में उपरोक्त बरामदगी के आधार पर नियमानुसार धारा 317(2) BNS व धारा 3/25 आर्मस एक्ट की बढोत्तरी की गयी। अभियुक्तगण उपरोक्त को विधिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

- 1 सुखपाल पुत्र रामलाल उम्र करीब 32 वर्ष नि0 ग्राम नवीनगर, थाना बण्डा, जनपद शाहजहांपुर
- 2 सुनील पुत्र माखन लाल उम्र करीब 25 वर्ष नि0 ग्राम नवीनगर, थाना बण्डा, जनपद शाहजहांपुर
- 3 छोटेलाल पुत्र पुतान उम्र करीब 30 वर्ष नि0 ग्राम नवीनगर, थाना बण्डा, जनपद शाहजहांपुर

पंजीकृत अभियोग का विवरण

- 1- मु0अ0सं0 0098/2025 धारा 304(2)/317(2) BNS व धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना बण्डा शाहजहांपुर
- 2- मु0अ0सं0 150/2025 धारा 304(2)/317(2) BNS थाना पुवायां जनपद शाहजहांपुर

बरामदगी का विवरण

1. एक अदद देशी तमंचा 315 बोर मय दो अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर।
2. तीनों से 15500 रूपये बरामद।
3. एक अदद मोटरसाईकिल स्पलेण्डर प्लस।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण

- 1- थानाध्यक्ष सोनी शुक्ला
- 2- उ0नि0 महेन्द्रपाल सिंह
- 3- उ0नि0 गजराज सिंह
- 4- मु0आ0 380 अजमेर सिंह
- 5- मु0आ0 552 रोहित कुमार
- 6- का0 2563 बसंत चौहान
- 7- का0 2297 सुनील कुमार